

प्रति,

प्राचार्य

शा. वि. शा. ता. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, दुर्ग

८५

विषय: - आकस्मिक अवकाश जावत।

महोदय,

निवेदन है कि प्यर में कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण महाविद्यालय आने में असमर्थ हूँ अतः आज दिनांक 22.07.2023 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कट करे।

सधलसवद।

(आपना)

भवदीय

22-7-23

डा. अनिल कुमार मिश्रा
सहायक प्राध्यापक, भूगोल
शा. वि. शा. ता. स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, दुर्ग

प्रति

प्रान्तिय

शोध वि. श. ग. एनाल्सिस स्वशास्त्री
महा. पुर्ज (द. ग.)

विषय :- विभागाध्यक्ष लायन का प्रभा देने वरिक्त

महोदय,

आपसे निवेदन है कि मैं पी. एल. टी.
प्रत्यांकन कार्य (लायन शास्त्र) के लिये दिनांक 19-7-23
से 24-7-23 तक नया रायपुर पी. एल. टी. कार्यालय जा रहा हूँ।
इतने उक्त त्रिचि में विभागाध्यक्ष व लायन
का कार्य डॉ. अजित कश्यप प्राध्यापक (लायन सम्हालेगी)

धन्यवाद

दिनांक

18-7-23

शकदीय

(Sharma)

(प्र. सुकुमार चरणी)

(प्रकार विभागाध्यक्ष लायन)

प्रतिक्रिया :- डॉ. अजित कश्यप
(प्राध्यापक लायन)

संख्या / 256 / 23
24-7-23

साधना

To

The Principal,
Govt. V. Y. T. P & Autonomous College
Surug

OL

Through: Head of the Department, Chemistry
Sub: Grant of optional leave

Respected Sir,

I would like to avail the optional leave
of Onam declared by CG Govt on 29.08.2023.
Therefore, I request you to kindly grant one day
optional leave.

Thanking you,

Yours sincerely
Sonitha

Surug

28.08.2023

(SONITHA B. MATHEW)

Forwarded

ASU

29/8/23

29/8/23

29/8/23

29/8/23

प्रपत्र-1अ
(नियम 13 देखिये)

संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम डॉ. रश्मिता श्रीवास्तव
2. पदनाम सहा. डा
3. विभाग/कार्यालय/अनुभाग शा. वि. मा. ता. लातमोरा मन्स. स्कूल
4. संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन अवकाश का आवेदन किया जा रहा है प्रेसल
5. संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें) 21/2/2016
6. संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि 21/2/2034
7. क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है हाँ/नहीं
8. खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि पर)
9. अवकाश की अवधि- दिन 11/3/24 से 10/4/24 तक 30 दिनांक
पूर्वयोजित/अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो
10. आवेदित अवकाश का/के कारण संतान पालन [परीक्षा]
11. आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान पालन अवकाश
12. (क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई है हाँ/नहीं
(ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता दिल्ली
13. पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश की प्रकृति एवं अवधि

दिनांक 24/2/24

आवेदक का हस्ताक्षर [Signature]

कर्मचारी कोड संख्या

दिनांक 11.3-24 to 10-4-24 = 30 दिनांक

संतान पालन अवकाश 20 दिनांक

20/4 557-30=527 दिनांक

Principal

Govt. V.Y.T. P.G. Autonomous
College, Durg (C.G.)

APPLICATION FOR LEAVE
(For both Gazetted & Non-Gazetted Govt. Servants)

Note :- Items 1 to 10 must be filled in by all applicants whether Gazetted or Non-Gazetted. Items 13 apply only in the case of Gazetted officers. Items 14 & 15 apply in the case of Non-Gazetted officers.

1. Name of Applicant Dr. Rachita Shekharastava
2. Leave rules applicable EL
3. Post held Assistant Professor
4. Department or Office Psychology
5. Pay 87440-00
6. House rent allowance, conveyance allowance or other Compensatory allowances drawn the present post
7. Nature & period of leave applied for and date from which required EL [3 days]
28 to 30 December 2023
8. Ground on which leave is applied for
9. Date of return from last leave and the nature & period of that leave
10. Leave address, if granted Delhi

11. I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the provision to F.R. 81(b)(II)M.B.F.R. 79(c) Rule 11(c) of the revised leave Rules 1933/Rule 14(c) of Madhya Pradesh Revised Leave Rules, 1934/Rule 963(c) of the Rajasthan Service Rules, Not been applied in the event of my retirement from the service at the end or during the currency of the leave.

Date 201

Signature & Designation } *Rachita*
Assistant Professor

12. Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.

Date 201

Signature & Designation } गति 28-12-23 to 30-12-23
= 03 =
= 3024 17-03 E 19 गति
मि. 02 अकारण

13. Report of the Audit Officer

Date 201

Signature & Designation } Principal
Govt. V.Y.T. D.G. Autonomous
College, Durg (C.G.)

210
9/11/24

P.T.O.